

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०- 275/2016/14

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
9.11.22	Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तनान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कारवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक <u>8.12.2022</u> को उपस्थापित करें।	 04/11/22 अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।
8.12.22	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा० दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म <u>अनाबाद</u>) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:- मौजा <u>करमा</u> थाना नं० <u>318</u> खाता सं० <u>17</u> प्लॉट सं० <u>409</u> रकबा <u>2.00</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म <u>अनाबाद</u> अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द सं० <u>2</u> के पृष्ठ सं० <u>120</u> पर जमाबंदी रैयत <u>इ.म.न.</u> <u>मो.न.एल.</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित	

मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अभिलेख उपस्थापित।

24.12.22

नोटिस का तामिला नहीं कराया जा सका। चौकीदार राजेन्द्र पासवान के द्वारा लिखित रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि ग्रामीणों से पूछताछ करने पर बतलाया गया कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि हल्का में उपलब्ध दस्तावेजों से मिलान कर एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.1.2023 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

7.1.23

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा कदम मौजा नं० 348 खाता सं०-12 प्लॉट सं०-409 रकबा 2.00 किस्म खेतीयान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। उक्त व्यक्ति के नाम से मांग पंजी-2 कायम है। चौकीदार राजेन्द्र पासवान द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति संबंधित ग्राम में निवास नहीं करता है। इससे प्रतीत होता है कि तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा बिना सक्षम अधिकार के अनुमति के फर्जी व्यक्ति के नाम से मांग कायम किया गया है। मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 100/2 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें। लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वा चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम -

मलास एव धुलरपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म
डोगल साव	करमा	17	409	2.00	जंगल	जंगल	जंगल
मोहन साव		318			1.75	माखिल	जंगल

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :-

जंगल - झाडी

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :-

पंजी-II में संधारण वर्ष दर्ज नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

पंजी-II के अधिकार महसूस में कोई स्पष्ट विवरण दर्ज नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार

(क) अनिबंधित, सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य - रूपये से कम या इससे अधिक) :-

अवैध जमाबंदी की जाँच किया राजस्व अभिलेख से की गई है :-
(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वास्तव रिटर्न से

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती पंजी से

(ग) वास्तव-खारिज / भू-हस्तांतरण / भामांतरण पंजी से :-

वर्तमान
पंजी-
मिलाव

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :- *नहीं*

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- *नहीं*

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :- *नहीं*

12 वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड-बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- *नहीं*

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :- *प्रतिवेदन*
कृषि पर बाद अभिलेख संख्या 235/2016-17 (अनर्गत द्वारा 4(h) BLR Act 1950) के तहत एकत्रित कृषि दूध कोरिंग (गमिल) अग्रत नामित ने भौतिक रूप से कराई गई उनके द्वारा प्रविष्टि किया गया कि कोरिंग में पल कृषि के संबंध में यह ग्राम के आधिन जनता द्वारा बताया गया कि इन लोग का कोई व्यक्ति कभी पहा पर निवास नहीं किया है जो 2 नंबर इन्फोर्मेशन के अग्रत पर नहीं जोत-नोट रखा है। गत वर्ष खनिजाल के अग्रत कृषि और मजदूर आ मासिक जनन-शादी के अग्रत मारा अग्रत फलित होता है। अतः अग्रत कारवाई के जांच प्रतिवेदन तापर समाहित

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-
राजस्व अभिलेख द्वारा प्रतिवेदन जाँच प्रतिवेदन का जाँच प्रतिवेदन से मिला, अर्थात् पंजी। अतः अग्रत जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा किया जा सकता है।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

डोमन साब-5/0 मोडक साब

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :-

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 2 पृष्ठ सं. 120 पर कायम है

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खसरा सं.	रकबा
कैरगा	318	17	409	2.00 एकड़

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :-

पंजी-II संपादन वर्ष दर्ज नहीं है

4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- डोमन साब/मालिक

5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- पंजी-II में दर्ज नहीं है

6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :-

8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी (भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदाबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) बरखाज मांग पंजी-II से

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

Page No
120/2

वाद अमिलेख सं० 275 / 20.16-17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना
बनाम डीमम खाक

पिता - मोहम खाक

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा करमा थाना नं० 348 खाता सं० 17 खेसरा नं० 409 रकबा 200 से संबंधित आपके नाम से ह० नं० 17 के पंजी-II भाग 2 के पृष्ठ 120 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।



अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।